ग्राम पंचायत, क्यारवी विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 **{क} प्रस्तावनाः–**

ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत क्यारवी, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति गुडडी देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति ममता	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत क्यारवी के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	10	अनुदान का उपयोग न करना	29.28
2	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.80
3	12	निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करना	0.12
4	13	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	5.65
5	14	लाखों का भुगतान वास्तविक व्यक्ति/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य पक्ष को करना	8.14
6	15	टैन्डर के स्थान पर कोटेशनों से स्टॉक/स्टोर क्रय करना	3.43
7	16	कार्य समाप्त होने की तिथि से पूर्व भूगतान की जाने वाली राशि को बैंक से आहरित करना	1.00

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत क्यारवी विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2016 व 2.1.2017 से 4.1.2017 तक ग्राम पंचायत, क्यारवी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 10/14, 7/15 व 4/13, 11/14, 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत धार विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 5 दिनांक 4.1.2017 द्वारा सचिव, पंचायत क्यारवी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत क्यारवी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–"क"** के अनुसार अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की रोकड़ बहियों/अभिलेख पर आधारित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

स्व–स्त्रोत एवं सामान्य अनुदान निधि

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	1235020.48	1337282	2572302.48	801149	1771153.48
2014–15	1771153.48	961573	2732726.48	1093010	1639716.48
2015–16	1639716.48	1614652	3254368.48	1106692	2147676.48
			वॉटर शैड		
2013–14	1055821	631583	1687404	582001	1105403
2014–15	1105403	37246	1142649	397770	744879
2015–16	744879	25766	770645	316060	454585

			मनरेगा		
2013—14	120	4	124	0	124
2014—15	124	5	129	0	129
2015—16	129	6	135	0	135
			14वां वित आयोग निधि		
2013—14	0	0	0	0	0
2014—15	0	0	0	0	0
2015—16	0	199745	199745	0	199745
			वाटर शैड (ग्रामकोष)		
2013—14	89860	9496	99356	0	99356
2014—15	99356	21134	120490	0	120490
2015—16	120490	4881	125371	0	125371
	दिनांक 31.3.2016 को कुल योग				**2927512.48**

नोटः—(i) सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ''सामान्य अनुदान निधि'' की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में उक्त निधि में शामिल विभिन्न अनुदानों वित्तीय स्थिति अलग—अलग तैयार नहीं की जा सकती तथा न ही आय/व्यय को अलग—अलग नहीं किया जा सकता है।

(ii) रोकड़ बहियों में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः रोकड बहियों में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेषों को ही वित्तीय स्थिति के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

5 **(क) बैंक समाधान विवरणीः—**

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड वही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹39190.00 का अन्तर पाया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना सं0 03 दिनांक 3.1.2017 की अनुपालना में **(परिशिष्ट—ग)** पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में उपरोक्त अन्तर बढ़ कर ₹39276 हो गया जिसका समाधान किया जाना शेष था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर था। अतः नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम सं0	विवरण		राशि
1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **(परिशिष्ट–क)**		2927512.48
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट–ख)**		2966702.48
3		**अन्तर**	**39190**

(ख) अन्तर के कारणः–

1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष		2927512.48
	(–) स्व स्त्रोत निधि की रोकड वही अनुसार हस्तगत राशि	(–)86	39190
	(+) राशि जिसका समाधान किया जाना शेष है	**39276**	
	बैंक खातों के अनुसार शेष		**2966702.48**

6 निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 12 के अनुसार यदि पंचायत निधियों में कोई अधिक्य (Surplus) राशि पाई जाती है तो इसे निवेश किया जाना होता है तथा निवेश का रजिस्टर फार्म–2 में तैयार करके उसमें निवेश की गई राशि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है परन्तु पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में न तो कोई राशि निवेश की गई थी तथा न ही निवेश रजिस्टर लगाया गया था। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में अधिकय राशि को निवेश करके बचत खाते सके अधिक ब्याज अर्जित किया जाए व तदानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7 रोकड वही व बैंक खातों का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अन्तर्गत गग्रम पंचायत की स्व–स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता–''क'' व खाता–''ख'') खोले जाने का प्रावधान है। खाता–''क'' में पंचायत के स्व–संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता–''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत क्यारवरी में चार रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा सात विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बिहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जानें बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 **(क) बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—**

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म—11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख—रखाव न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख—रखाव नहीं किया गया था। जिसके कारण चयनित मासों में किये गये लाखों रूपये के निर्माण कार्यां की पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी। सचिव, गप्रम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सामान्य निधि से सम्बन्धित ₹1.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः व्यय हेतु चयनित मासों में उक्त तकनीकी अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाऐ। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख—रखाव व्यवस्थित/क्रमबद्व तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रूपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 **पंचायत राजस्व से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करनाः—**

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 2.1.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सूचना प्रस्तुत करने को कहा था। सचिव ग्राम पंचायत ने इस सम्बन्ध में **''परिशिष्ट—घ''** द्वारा सूचित किया कि गृह कर का पूर्ण विवरण अभी तैयार नहीं है जिसे शीघ्र तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाएगा। गृह कर का अभिलेख तैयार न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली का पूर्ण

अभिलेख तैयार करके बसुली हेतु शेष राशि को सम्बन्धित से बसुल करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹ 29.28 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 को अनुदानों की कुल **₹**2927512.48 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों से सम्बन्धित आय–व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय–व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि खाता–'क' व खाता–'ख' के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹1.80 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'ड.'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹179745 के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण सामग्री से ₹ 0.12 लाख के voids की कटौती न करनाः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **''परिशिष्ट–च''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹12318 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

13 ₹5.65 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए0 से डी0) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। सचिव पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय–समय पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया, कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी, जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षाणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखों रूपये के स्थायी व अस्थाई स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹564570 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–''छ''** में दिया गया है, का क्रय किया था परन्तु इनकी स्टॉक प्रविष्टियों को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

14 ₹8.14 लाख का भुगतान वास्तविक पात्र/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य पक्ष को करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (2) व 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान केवल रेखांक्ति चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति/पक्ष को किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

चयनित मासों में निम्न विवरणानुसार ₹814225 की राशि के विभिन्न भुगतान चैकों द्वारा वास्तविक पात्र/पक्ष को न करके अन्य पक्ष/व्यक्ति को किए गए थे। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अन्य पक्ष द्वारा समय–समय पर बैंक से चैकों की राशि आहरित करके वास्तविक पात्र /पक्षों को नगद में भुगतान कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत स्पष्टीकरण का अंकेक्षण में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा साथ ही यह प्रथा उक्त नियम के विरूद्व है। अतः अनियमित प्रकार से अन्य पक्षों को चैकों द्वारा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि उक्त राशि का वास्तविक व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कम सं0	**माह**	**चैक सं0 व दिनांक**	**राशि**	**जिसके नाम चैक जारी किया**	**फर्म/व्यक्ति जिसके नाम भुगतान किया दर्शाया है**	**राशि**	**रोकड वही पृ0सं0**
1	4/13 वॉटर शैड	6190246 5.4.13	191300	प्रधान ग्राम पंचायत, क्यारवी	1.मैं0 सिधू सीडज़ सेल्ज़ कॉरपोरेशन पण्डितवारी पी0ओ0 प्रेमनगर देहरादून 2. गुलाम रसूल एण्ड ब्रदर्ज, देवत चौपाल 3 मस्ट्रोल	150800 27000 13520	33
2	4/13	6190248 5.4.13	192365	प्रधान ग्राम पंचायत, क्यारवी	1 गुलाम रसूल एण्ड ब्रदर्ज, देवत चौपाल	192365	33
3	11/14	523260 6.11.14	52000	श्री जोनी	1 श्री संजीव कुमार 2 एम0बी0ओ0 ट्रक सरवीस, चमैण 3 श्री पदम सिंह	7980 1960 3060 21560 4440	39
4	11/14	523261 13.11.14	124000	श्री रमन कुमार	1 मस्ट्रोल 2 हि0प्र0 सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन 3 पिन्कु पुत्र श्री दौलत राम	12000 12000 11500 8500 20000 30000 6292 10000	40

					4 मस्ट्रोल	13708	
5	11/14 सामान्य व अनुदान	523232 24.11.14	25000	श्री सुशान्त	1 श्री राजेश 2 श्री जिया लाल 3 सन्त लाल 4 श्री राजेश	1440 1260 12000 10300	19
6	12/15	525360 19.12.15	43000	श्रीमति सरोज	1 जिया लाल 2 मस्ट्रोल	20000 23500	19
7	12/15	525364 22.12.15	100000	श्रीमति गुडडी	1. मस्ट्रोल	100000	19
8	12/15	525363 23.12.15	86560	श्री पूर्ण चन्द	1 संस्कार इन्टरप्राईजिज़ 2 ऑचल स्टोन कशर 3 श्री कुलदीप 4 मस्ट्रोल 5 कोटखाई ट्रक यूनियन 6 श्री पवन कुमार 7 मस्ट्रोल 8 ऑचल स्टोन कशर	4909 3900 10500 28487 7620 7500 18664 4980	19
		योग	**814225**				

15 टैन्डर के स्थान पर कोटेशनों से ₹3.43 लाख की राशि से स्टॉक/स्टोर कय करने बारेः–

(क) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(5) द्वारा ₹50000 से अधिक की राशि का स्टॉक/स्टोर कय करने के लिए कम से कम दो समाचार पत्रों में टैन्डर आमंत्रित करना अपेक्षित है। परन्तु वॉटर शैड निधि के चयनित माह 4/13 का अवलोकन करने पर पाया कि ₹343165 की राशि का ग्राम पंचायत द्वारा कुटैशनों से कय किया गया था जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम सं0	**माह**	**बिल सं0**	**फर्म का नाम**	**मद**	**भुगतान की गई राशि**
1	4/13	422	मै0 सिधु सिडज़ सेल्ज़ कॉरपोरेशन पण्डितवारी पी0ओ0 प्रेम नगर देहरादून	घास का बीज	150800
2	4/13	108	गुलाम रसूल देवत चौपाल	सेब के पौधे	192365
योग					**343165**

उक्त ₹343165 की राशि का भुगतान टैण्डर आमंत्रित किए बिना करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से बंचित होना पड़ा। उक्त के अतिरिक्त बीज व पौधों को लाभर्थियों को बांटने की विवरणियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी नहीं की थी। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के साथ बीज और पौधों की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) कुटेशन में कटिंग करके ₹5800 की हानि बारेः– क्रम सं0 1 पर वर्णित फर्म से जो क्रय कुटेशनों द्वारा किया गया था उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	फर्म का नाम	दर जो कुटेशन पर अंकित थी	दर जो कटींग के उपरान्त अंकित थी	मात्रा	विवरण
1	मै0 सिधु सिडज़ सेल्ज़ कॉरपोरेशन पण्डितवारी पी0ओ0 प्रेम नगर देहरादून–248007.	260	–––	580 कि0ग्रा0 घास बीज	इस फर्म से बीज क्रय किया गया।
2	मै0 लक्ष्मी सिडज़ सेल्ज़ कॉरपोरेशन पण्डितवारी पी0ओ0 प्रेम नगर देहरादून–248007.	250	270		
3	मै0 मोहन इन्टीप्राईजिज़ पण्डितवारी पी0ओ0 प्रेम नगर देहरादून–248007.	280	–––		

क्रम सं0 2 की कुटेशन और तैयार की गई तुलना विवरणी में कंटिग करके 250 के स्थान पर 270 की दर अंक्ति की थी जिसके कारण जो बीज क्रम सं0 2 की फर्म से ₹250 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से क्रय किया जा सकता था उसके स्थान पर ग्राम पंचायत ने क्रम सं0 1 पर वणित फर्म से ₹260 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से क्रय किया गया जिससे ग्राम पंचायत को ₹5800 (150800–145000) की हानि हुई। अतः कुटेशन में कटिंग करने के मामले में पूर्ण छान–बीन की जाए तथा किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी बसुली सम्बन्धित से की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

16 ₹1.00 लाख की राशि को कार्य समाप्त होने की तिथि से पूर्व बैंक से आहरित करनाः—

सामान्य निधि के चयनित माह 12/15 का अवलोकन करने पर पाया कि सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती, गलेहा के निर्माण हेतु ₹100000 की राशि को चैक सं0 525364 दिनांक 19.12.15 द्वारा बैंक से दिनांक 22.12.15 को श्रीमति गुडडी देवी पूर्व प्रधान ने आहरित किया था। इस राशि का भुगतान मस्ट्रौल सं0 11932 में कार्यरत मजदुरों को दिनांक 30.12.2015 के उपरान्त किया जाना अपेक्षित था। चुकिं उक्त मस्ट्रौल में कार्यरत मजदुरों ने अवधि 1.12.15 से 30.12.15 तक कार्य किया था। उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख मापन पुस्तिका, प्राकल्लन, मुल्यांकन इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त मस्ट्रौल को तकनीकी सहायक द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कार्य वर्तमान में भी प्रगति पर है जिस हेतु कुल ₹500000 की राशि का बजट स्वीकृत/राशि प्राप्त हुई है। अतः कार्य समाप्त होने से पूर्व ₹100000 की राशि को बैंक से आहरित करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

17 ₹0.99 लाख की खाता ''ख'' की ब्याज राशि को खाता ''क'' निधि में हंस्तांतरित न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता ''ख'' से अर्जित ब्याज कोष्खाता ''क'' में हंस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। यह ब्याज राशि प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में हंस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है परन्तु निम्न विवरणानुसार ₹99833 की ब्याज राशि अंकेक्षाणाधीन अवधि में जमा नहीं करवाई गई। अतः ब्याज राशि को तुरन्त खाता ''ख'' से खाता ''क'' में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वर्ष	निधि का नाम	ब्याज राशि	कुल ब्याज राशि
2013—14	वाटर शैड	24295	27795
	मनरेगा	4	
	वाटर शैड (ग्राम कोष)	3496	
2014—15	वाटर शैड	37246	41385
	मनरेगा	5	
	वाटर शैड (ग्राम कोष)	4134	

2015–16	वाटर शैड	25766	30653
	मनरेगा	6	
	वाटर शैड (ग्राम कोष)	4881	
		योग	**99833**

18 ₹0.80 लाख के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियो/कर्मचारियों को भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा चयनित मासों में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹80400 का मानदेय/वेतन का भुगतान किया, परन्तु मानदेय/वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत द्वारा कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

कम सं0	विवरण	अवधि	राशि	रोकड वही पृष्ठ सं0
1	श्रीमति कमला देवी सिलाई अध्यापिका	1/13 से 4/13	6400	65
2	श्रीमति कमला देवी सिलाई अध्यापिका	1/15 से 10/15	20000	19
3	मानदेय पंचगण	1/15 से 10/15	34000	19
4	वेतन चौकीदार	1/15 से 10/15	20000	19
		योग	**80400**	

19 ₹0.37 लाख की आबंटित राशि के स्वीकृति पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 12/15 में पाया गया कि श्रीकृष्ण लाल पुत्र श्री बालक राम को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹37500 की राशि का भुगतान किया था। परन्तु इस राशि के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर, सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का ''स्वीकृति पत्र'' व कार्य निष्पादित उपरान्त अपेक्षित ''उपयोगिता प्रमाण पत्र'' सहित पूर्ण अभिलेख की नस्ति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की अंकेक्षण में पूर्ण जांच न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

20 ₹1000 से अधिक की राशि को हस्तगत करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **10 (3)** के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत को केवल ₹1000 की राशि बतौर हस्तगत रखने का प्रावधान है। वॉटर शैड निधि की रोकड वही का अवलोकन करने पर पाया कि निम्न विवरण के अनुसार ₹1000 की राशि से अधिक की राशि हस्तगत रखी थीः–

कम सं0	**अवधि**	**राशि**
1	1.4.2013 से 9.12.2013	21000
2	10.12.2013 से 14.1.2016	16000

अतः अनियमित प्रकार से ₹1000 से अधिक की राशि को हस्तगत रखने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में नियमानुसार हस्तगत राशि रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–ज** पर संलग्न है। अपेक्षित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 विविधः–

(क) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1000 से उपर का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कई बार इस प्रकार का भुगतान नगद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीदें/पावतियॉ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नगद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण दिखाई जाए। भविष्य मे उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंक्ति किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कडाई से पालन किया जाये।

(ग) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान प्रतिभागी समिति नहीं बनाई गई थी। अतः नियमानुसार प्रतिभागी समिति न बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त समिति बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) ग्राम पंचायत द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया था जिसे अब तैयार करके उसमें रसीद बुकों की प्रविष्टियॉ करनी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

24 **निष्कर्ष:—** लेखों के रख रखाव एवं सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 58/2017—खण्ड—1 —1842—1845 दिनाँक: 25.03.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत क्यारवी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.